अनुमोदन हेतु प्रारूप

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या– 79 दिनांकः 02/6/16

विभागीय ज्ञापांक–6160(S) दिनांक 09.07.2014 द्वारा 70 लाख से ऊपर के निविदाओं के तकनीकी एवं वित्तीय Bid के बारे में प्राप्त परिवादों के समीक्षा हेतु अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की गयी थी –

(i) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग – अध्यक्ष
(ii) एक असम्बद्ध मुख्य अभियंता – सदस्य
(iii) अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग – सदस्य
(iv) अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग – सदस्य
(v) श्री चन्द्रशेखर, विशेष पदाधिकारी (या०) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग – सदस्य

इस आदेश को संशोधित करते हुये समिति को निम्न प्रकार पुनर्गठित किया जाता है –

(i) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग – अध्यक्ष
(ii) एक असम्बद्ध मुख्य अभियंता – सदस्य
(iii) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग – सदस्य
(iv) अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग – सदस्य
(v) अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग – सदस्य

असम्बद्ध मुख्य अभियंता के रूप में, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के लिए, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग; उत्तर बिहार उपभाग के लिए, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग एवं दक्षिण बिहार उपभाग के लिए मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग होंगे।

2. ऊपर वर्णित परिपत्र में परिवादों के निष्पादन के बारे में निम्नांकित व्यवस्था निरूपित की गयी थी –

(i) रु० 70.00 लाख तक के निविदाओं (तकनीकी बीड/वित्तीय बीड) के परिवादों की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर से गठित तकनीकी बीड़ मूल्यांकन समिति द्वारा की जायेगी।

(ii) रु० 70.00 लाख से रु० 3.50 करोड़ एवं रु० 3.50 करोड़ से ऊपर की निविदाओं (तकनीकी बीड/वित्तीय बीड) के संबंधित परिवादों की समीक्षा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

(iii) **रु० 70.00 लाख से ऊपर की निविदाओं से संबंधित परिवाद पर प्रधान सचिव/सचिव का निर्णय प्राप्त किया जायेगा परन्तु प्राप्त परिवाद यदि विभागीय निविदा समिति द्वारा निष्पादित निविदा से संबंधित है तो विभागीय मंत्री का आदेश प्राप्त किया जायेगा।**

विभागीय अधिसूचना संख्या–3162(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–3163(एस) दिनांक 09.05.2016 द्वारा Bihar PWD Code के संशोधित अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि एकल वित्तीय निविदा प्राप्त होने पर समुचित निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार द्वारा लिया जाएगा, परन्तु ऐसी निविदाऐं जिसमें सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति है, से संबंधित एकल निविदा पर निर्णय विभागीय समिति द्वारा ही लिया जाएगा। Bihar PWD Code में निविदा से संबंधित परिवाद के निष्पादन के बारे में विभागीय मंत्री का आदेश प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय आदेश ज्ञापांक–6160(S) दिनांक 09.07.2014 की कंडिका–3.1, 3.2 एवं 3.3 में वर्णित उक्त व्यवस्था का न तो कोई ठोस औचित्य नजर आता है और न ही इससे निविदाओं पर त्वरित निष्पादन हो पाता है। अतः Bihar PWD Code के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये एवं निविदाओं पर ससमय एवं कालबद्ध तरीके से निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 163 के प्रावधानों के अनुरूप निविदा संबंधित परिवादों के निष्पादन हेतु निम्न व्यवस्था निरूपित की जाती है :–

निविदाओं के निष्पादन के लिये सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के प्राधिकार द्वारा निविदा संबंधी परिवाद का निस्तार किया जायेगा परन्तु ₹3.50 करोड़ से अधिक की निविदाओं से संबंधित परिवाद पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय निविदा समिति द्वारा निस्तार किया जायेगा एवं विभागीय मंत्री के आदेश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात् ₹3.5 लाख तक की निविदाओं से संबंधित परिवादों का निस्तार अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा, ₹3.5 लाख से ₹70.00 लाख तक की निविदाओं से संबंधित परिवादों का निस्तार मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा, ₹70.00 लाख से ₹3.5 करोड़ तक की निविदाओं से संबंधित परिवादों का निस्तार अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा तथा ₹3.50 करोड़ से ऊपर की निविदाओं से संबंधित परिवादों का निस्तार विभागीय निविदा समिति द्वारा किया जायेगा।

3. प्राप्त विभागीय निविदाओं के बारे में बड़ी संख्या में परिवाद पड़ने का एक बड़ा कारण, तकनीकी बीड के मूल्यांकन के आधार पर किसी भी निविदादाता को अयोग्य घोषित करने के तुरन्त बाद, वित्तीय बीड खोल दिया जाना है, फलस्वरूप अयोग्य घोषित निविदादाताओं को न तो अयोग्य घोषित होने की पूरी जानकारी हो पाती है और न ही वे इस प्रक्रिया से संतुष्ट होते हैं। फलस्वरूप विवाद उत्पन्न होता है और परिवाद डालने के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः बीड खोलने के बाद निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(i) तकनीकी बीड पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् इसके फलाफल को दो दिनों के भीतर e-procurement portal पर upload कर दिया जाएगा। निविदाकारों के असफल होने के विस्तृत कारणों को portal पर upload करना अनिवार्य होगा।

(ii) तकनीकी बीड के फलाफल पर निविदाकार को आपत्ति होने की स्थिति में उन्हें साक्ष्य के साथ अगले तीन दिनों के अन्दर मुख्य अभियंता को अभ्यावेदन समर्पित करना होगा।

(iii) तकनीकी बीड का निर्णय upload करने की तिथि से अधिकतम 05 (पाँच) दिनों तक कोई परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 6ठे दिन वित्तीय बीड खोल दी जाएगी।

4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

2.6.16

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र06/द0बि0–नियम–03–02/2004 3870(s) /पटना, दिनांक 02/6/16

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित)/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव(प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.16

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र06/द0बि0–नियम–03–02/2004 3870(s) /पटना, दिनांक 02/6/16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.16

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र06/द0बि0–नियम–03–02/2004 3870(s) /पटना, दिनांक 02/6/16

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

2.6.16

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।